सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **778** राँची, गुरुवार

7 कार्तिक, 1937 (श०)

29 अक्टूबर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

14 अक्टूबर, 2015

विषय: केन्द्र प्रायोजित ''स्वच्छ भारत मिशन'' (शहरी) कार्यक्रम को झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित करने हेतु दिशा-निर्देश एवं कार्य-प्रणाली की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी संकल्प ज्ञापांक-2206 दिनांक-25.06.2015 में संशोधन के संबंध में।

संख्या -06A/न०वि०/HPC-(SBM)-04/2015-3799—दिनांक 14 मई, 2015 को स्वच्छ भारत मिशन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च अधिकार समिति (HPC) की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2206, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा योजना हेतु दिशानिर्देश एवं कार्यप्रणाली निरुपित की गई है।

2. योजना कार्यान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं:-

वर्त्तमान में	संशोधित
(क) संकल्प की कंडिका 3 (ii) की उप - कंडिका (ग) अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रति शौचालय रु० 26,000/- अनुदान एवं राज्य सरकार द्वारा अवशेष अनुदान रु० 39,000/- अर्थात कुल राशि रु० 65,000/- प्रति सीट (seat) दी जाएगी ।	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रति सीट (seat) रु० 26,000/- अनुदान एवं राज्य सरकार द्वारा अवशेष अनुदान रु० 39,000/- अर्थात अधिकतम कुल रु० 65,000/- की राशि प्रति सीट (seat) दी जाएगी।
(ख) संकल्प की कंडिका 3 (iv) की उप कंडिका (क) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हेतु capex cost का 80% राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।	आवश्यकता के अनुरूप राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
(ग) संकल्प की कंडिका 4 की उप कंडिका (क) में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, रख-रखाव, technical supervision, लाभुकों को प्रेरित करने हेतु किसी संस्था को मनोनयन/चयन के आधार पर कार्य सौंपा जायेगा।	व्यक्तिगत शौचालयों के लाभुकों को प्रेरित करने हेतु किसी संस्था के मनोनयन/ चयन की आवश्यकता / परिस्थितियों के आधार पर करते हुए कार्य सौंपा जायेगा।
(घ) संकल्प की कंडिका 4 की उप कंडिका (ख) में प्रावधानित सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तथा उनके रख-रखाव के CSR के तहत विभिन्न कंपनियों को सौंपा जाएगा।	"सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तथा उनके रख - रखाव के दायित्व CSR अथवा PPP के तहत चयनित विभिन्न कंपनियों / firms को सौंपा जाएगा।

3. संकल्प संख्या-2206 दिनांक 25 जून, 2015 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

4. संशोधित संकल्प पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव पर, उच्च अधिकार समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में, इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 778—50+200 ।